



संदर्भ संख्या: AWADHUNU/सं/ 1532 /2023

स्थापी सम्बद्धता-आदेश

उद्देश: राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (पर्यवेक्षित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सम्बद्धता चर्चित की अन्तर्गत एनओसी की अनुमति (दिनांक: 25/05/2023) से SITARAM SINGH MAHAVIDYALAYA, SABUKPUR, A. NAGAR को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1. BACHELOR OF ARTS (2023-2024)	EDUCATION
2. BACHELOR OF ARTS (2023-2024)	ENGLISH LITERATURE
3. BACHELOR OF ARTS (2023-2024)	GEOGRAPHY
4. BACHELOR OF ARTS (2023-2024)	HOME SCIENCE
5. BACHELOR OF ARTS (2023-2024)	HINDI LITERATURE
6. BACHELOR OF ARTS (2023-2024)	SANSKRIT
7. BACHELOR OF ARTS (2023-2024)	SOCIOLOGY

विषयों में सार्वजनिक केन्द्रागत सन 2023-2024 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता चलाने की जाती है:-

1. शैक्षणिक सन 2019-20 के परीक्षाफल के आधार पर सन 2023-2024 के सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम विषयों का सन 2019-20 का परीक्षाफल शासनदेश के अनुसार (20 प्रतिशत अनुपात) होना की शर्त में सन 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निहित किये जायेंगे।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनदेश संख्या-25/01/सं-2-2003-16/92/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनदेशों का पालन करेगी।
3. संस्था/महाविद्यालय प्रमुख/प्रिंसिपल को इस आदेश का प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षामाफती/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निगरानी को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता समाप्त हो जाने की कार्यवाही विधानमण्डल की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अधिनियम/वर्ती/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्पर्क अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करना अन्यथा सम्बद्धता जारी की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।
7. संस्था द्वारा शासनदेश संख्या-42/सं-2-1-2015-16/20/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतन के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की पूर्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तस्वीरों दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Ambikapur Ngr. मण्डल।
4. प्रमुख, SITARAM SINGH MAHAVIDYALAYA, SABUKPUR, A. NAGAR को इस आदेश से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा निर्देशक, SITARAM SINGH MAHAVIDYALAYA, SABUKPUR, A. NAGAR, Ambikapur Ngr.
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली।